श्रीमती रीता देवी, माननीय विधायक (इन्दौरा) द्वारा नियम 62 के अन्तर्गत उठाये गए मामले में विभागीय टिप्पणी :–

> '' टोल टैक्स बैरियर को 200 मीटर स्थानांतरित करने पर यह सदन चर्चा करें''।
>
> शिव भक्तों की आस्था को मद्‌यनज़र रखते हुए क्या काठगढ़ मंदिर के नज़दीक स्थित टोल टैक्स बैरियर को 200 मीटर स्थानांतरित किया जा सकता है, चर्चा करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 व प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित टोल नीति में दिये गये प्रावधानानुसार टोल टैक्स का संग्रहण करता है। यह टैक्स राज्य में प्रवेश के पहले बैरियर पर आने वाले वाहनों पर ही वसूला जाता है। वर्ष 2001 से पूर्व में टौल टैक्स का संग्रहण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता था तथा 01 जून, 2001 से टोल टैक्स संग्रहण का कार्य राज्य कर एवं आबकारी विभाग को आबंटित किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 55 टोल बैरियर स्थापित किये गये हैं जिन पर टोल टैक्स का संग्रहण किया जाता है।

यद्यपि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 से राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हल्के वाहनों को टोल टैक्स की अदायगी से छूट प्रदान की है जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत दुपहिया वाहन, मोटर रिक्शा तथा हल्के वाहन (Light Vehicle) चाहे वह व्यवसायिक हों या निजी, को टोल टैक्स की अदायगी से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में किसी भी टोल बैरियर के 05 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले दैनिक यात्रियों के लिए तिमाही और वार्षिक टोकन का भी प्रावधान किया गया है। जिसकी एकमुश्त आधार पर दरें क्रमशः 120/– व 270/– रखी गई हैं। जहां तक अन्य निजी पंजीकृत वाहनों का सम्बन्ध है, टोल नीति 2022–23 के अनुसार तिमाही में रू1000/– एवं वार्षिक पास के लिए रू0 2600/– की दर से रियायत का प्रावधान है । ऐसे सभी निवासी उक्त सुविधा का लाभ स्थानीय एस0डी0एम0/तहसीलदार से निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उठा सकते हैं।

प्रतिवर्ष टोल टैक्स से सरकार लगभग 100 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहित करती है जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकासात्मक योजनाओं में किया जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक टोल यूनिटों का आबंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा **109 करोड़ रुपए** में किया गया है।

राजस्व जिला नूरपूर में स्थित मीरथल रोड़ काठगढ़ में टोल बैरियर, टोल यूनिट कंडवाल का एक हिस्सा है तथा पिछले कई वर्षों से निर्विवाद कार्य कर रहा है। यह टोल बैरियर हिमाचल प्रदेश टोल नीति 2022—23 के तहत 9.79 करोड़ रूपए के मूल्य पर आबंटित किया गया है। इस टोल बैरियर से न केवल छोटे वाहन बल्कि भारी वाहन भी पैट्रोल पंप व औद्योगिक ईकाइयों के लिए गुजरते हैं। वर्तमान टोल टैक्स बैरियर काठगढ़ शिव मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर हिमाचल व पंजाब की सीमा पर स्थित है। यदि उक्त टोल टैक्स बैरियर को 200 मीटर स्थानांतरित किया जाता है तब भी पंजाब से काठगढ़ शिव मंदिर की ओर आने वाले वाहनों को टोल टैक्स बैरियर से गुज़र कर ही जाना पड़ेगा तथा यह कंदरोड़ी स्थित टोल बैरियर के **संग्रह पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है** क्योंकि इससे नदी के साथ लगते कई अन्य अवैध/वैकल्पिक मार्ग खुल जायेंगे जिन्हें पास में स्थित विभिन्न इकाईयों के संचालकों द्वारा टोल टैक्स, सी0जी0सी0आर0 तथा जी0एस0टी0 की अदायगी से बचने के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य भागों के धार्मिक तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी इसी तरह के प्रतिवेदन प्राप्त होंगे जिसके फलस्वरूप टोल लाईसैंस धारक मुआवजे की मांग करेंगे तथा इससे कानूनी पेचीदगी की भी सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त टोल टैक्स के भुगतान में छूट से वर्ष के लक्षित राजस्व की भी हानि होगी। अतः उपरोक्त टोल टैक्स बैरियर पर सरकारी राजस्व में किसी प्रकार की छूट देना अथवा बैरियर को स्थानांतरित करना व्यापक जनहित में नहीं है।

***